उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (संस्थागत) अनु0-35,
संख्या: 753बी/वि० (सं०) अनु0-35-2020-20बी (57) / 2010
लखनऊ: दिनांक, 22 सितम्बर, 2020

"अधिसूचना"

उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) (यथा संशोधित) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1975) द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 1972) की धारा 2 के खण्ड (छः) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल वाणिज्यिक बैंकों (संबंधित आर0आर0बी0) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, जो पहले ही सरकारी अधिसूचना संख्या 224 (बी) / क0नि0-06/2015-20बी (57) /10 दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा राज्य प्रायोजित योजना घोषित की गयी थी और जिसकी प्रवर्तन अवधि पिछली बार सरकारी अधिसूचना संख्या 224 (बी) /क0नि0-06/2015-20 बी (57) /10 दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ायी गयी थी, की अवधि अग्रेतर दिनांक 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ाती है।

आज्ञा से,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग, जीवन दीप, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र० कानपुर।
7. समस्त व्यावसायिक बैंकों के आंचलिक प्रमुख ।
8. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाहूय सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, 16- विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
13. अधीक्षक, राष्ट्रीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा प्रकाशित अंक की 15-15 प्रतियां अपर मुख्य सचिव वित्त, उ०प्र०शासन एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाहूय सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, 16- विधान सभा मार्ग, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
विशेष सचिव।